

No. A. 12023/3/2023-E-III / 927

भारत सरकार

Government of India

जल शक्ति मंत्रालय

Ministry of Jal Shakti

जल संसाधन नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation

Shram Shakti Bhawan, Rafi Marg, New Delhi, dated: 21st August, 2023

To

- 1. The Secretaries of all Ministries/ Departments of Govt. of India.
- 2. Chief Secretaries of all State Govts./ UT Administration.
- 3. All organisations under D/oWR.RD&GR.

Subject: Vacancy Circular for filling up three (03) Statutory posts of Brahmaputra Board on deputation (including short term contract) basis – regarding.

Sir.

I am directed to say that applications are invited for filling up the following posts in the Brahmaputra Board, Guwahati, which is a Statutory Body, under this Department:-

S.No.	Name of Post	Pay Scale	Posts
1	Chairman	L-15 (Rs. 1,82,200- 2,24,100/-)	1
2	Financial Adviser	L-14 (Rs.144200-218200/-)	1
3	Secretary	L-13A (Rs.131100-216600)	1

- 2. Details of these posts along with its eligibility criteria for each post are given in the Annexure-I to IV of this Circular.
- 3. Appointment on deputation basis in respect of a serving Central Government Officer will attract benefits as provided under the Department of Expenditure's O.M. No. 11(2)/97-E.II(B), dated 22.09.1998, O.M. No. 11(6)/2008-E.II(B), dated 02.04.2013 and O.M. No. 28/1/2017-E.II(B), dated 14.08.2018, as amended from time to time.
- 4. In respect of applicants borne in the Cadre of Central Water Engineering(Group-A) Service of this Department, the period of appointment on deputation basis in the Brahmaputra Board shall be counted as "Field Experience" for consideration of their promotion in the SAG of the same service.
- 5. All organizations are hereby requested to give wide publicity to this Circular among their officers and nominate eligible and willing officers for consideration of appointment in the aforementioned posts, to Shri Rajesh Kaushik, Under Secretary(E-III), Department of Water Resources, River Development & Ganga Rejuvenation, Shram Shakti Bhawan, Rafi Marg, New Delhi- 110001, within 60 days from the date of publication of this advertisement in the Employment News.

Yours faithfully,

(Rajesh Kaushik)

Under Secretary to the Government of India Tel No. 011-23766160

Email: rkaushik@nic.in

Details of eligibility criteria for the post of Chairman, Brahmaputra Board are mentioned below:-

Post 1: Chairman

Applications are invited for filling up of the 01 (one) post of Chairman in Level-15 (Rs.1,82,200-2,24,100/-) by deputation (including short-term contract) in the Brahmaputra Board, Guwahati a statutory body setup under an Act of Parliament (46 of 1980) under the administrative control of the Department of Water Resources, River Development & Ganga Rejuvenation.

2. BRIEF JOB RESPONSIBILITIES:

The Chairman is the head of the Brahmaputra Board. He is overall in-charge of the Board and is responsible for its efficient and smooth functioning. He has to exercise such of the powers and discharge such of the duties as are given in the Brahmaputra Board Act and Rules and also as may be delegated to him by the Board from time to time.

ELIGIBILITY CRITERIA:

Deputation (including short term contract):

- (A) Officers under the Central Government or State Government or Public Sector Undertakings or recognized Research Institutions or Autonomous Bodies or Statutory Organisations:-
- (a)(i) holding an analogous post on regular basis in parent cadre or department; or
- (ii) holding the post in the grade in level-14 (Rs.1,44,200-2,18,200/-) in the pay matrix or equivalent with three years regular service; and
- (b) Possessing the following educational qualifications and experience:
- (i) Degree in Civil Engineering from a recognized University; and
- (ii) Eighteen years' experience in the field of Investigation or Planning or Design or Execution or Operation and Maintenance of Water Resources Development Projects or Environment or Administration or Management; or
- (iii) Eighteen years' experience in the preparation of Master Plans or Comprehensive Plans for Flood Management or River Training Works or General Administration.
- (B) All India Service officers:
- (i) holding an analogous post in the Central Government or State Government on regular basis; or
- (ii) with three years' regular service in level-14 (Rs.1,44,200-2,18,200/-) in the pay matrix or equivalent in Central Government or State Government; and
- (iii) Eighteen years' experience in the field of Investigation or Planning or Design or Execution or Operation and Maintenance of Water Resources Development Projects or Environment or Administration or Management.

4. PERIOD OF DEPUTATION:

The period of deputation (including short-term contract) including period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organization or Department of the Central Government or State Governments shall not exceed five years.

5. AGE: The maximum age limit for appointment by deputation or short term

contract appointment shall be not exceeding fifty-eight years as on the closing date of receipt of applications.

- 6. The cut-off date for determining the qualifying service/experience and age of the candidate for the post will be the last date of receipt of application.
- 7. Any officer once selected shall not be allowed to withdraw or refuse to join; and it shall be the responsibility of the sponsoring authority to release the selected officers within one month of the issue of the appointment order.
- 8. The officer selected will have the option to draw his grade pay plus deputation (duty) allowance or to have his pay fixed in the scale of pay of the deputation post in terms of Department of Personnel & Training O.M. No.6/8/2009-Estt.(Pay II), dated 17.06.2010 (as amended from time to time).
- 9. Applications with full particulars of the applicant in <u>Annexure-IV</u> should reach to Shri Rajesh Kaushik, Under Secretary(E-III), Department of Water Resources, River Development & Ganga Rejuvenation, Shram Shakti Bhawan, Rafi Marg, New Delhi-110001, <u>within 60 days</u> from the date of publication of this advertisement in the Employment News. All applications will be treated in strict confidence. Those from Government and Public Sector should apply "Through Proper Channel." Applications without full details as asked for are liable to be rejected.
- 10. A/plications of only such officers/candidates will be considered as are routed through proper channel and are accompanied with (i) Bio-data (in quadruplicate) in the Proforma (ii) Photocopies of ACRs/APARs for the last five years duly attested by an officer not below the rank of Under Secretary (iii) Vigilance clearance (iv) Statement giving details of major or minor penalties imposed on the officer, if any, during the last ten years and (v) Integrity Certificate and (vi) Cadre Clearance. All the requisite information/ documents should be as per the proforma in Annexure-IV.
- 11. The details of advertisement and the application forms can also be downloaded from this Department's website: http://jalshakti-dowr.gov.in.

1. Name of Post

: Chairman, Brahmaputra Board, a statutory

body

2. Number of Posts

: 01 (one)

3. Classification

: Group 'A', Non-Ministerial

4. Level in the pay matrix

: Level-15 (Rs.1,82,200-2,24,100/-)

5. Period of deputation

: The period of deputation (including short-term contract) including period of deputation (including short-term contract) in another excadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation or Department of the Central Government or State Governments shall not

exceed five years.

- of the post
- 7. Pay & Allowances
- 8. Qualifications, Experiences: and Eligibility required for the post

6. Duties and responsibilities : The Chairman is the head of the Brahmaputra Board. He is overall in-charge of the Board and is responsible for its efficient and smooth functioning. He has to exercise such of the powers and discharge such of the duties as are given in the Brahmaputra Board Act and Rules and also as may be delegated to him by the Board from time to time.

> : The officer selected will have the option to draw his grade pay plus deputation (duty) allowance or to have his pay fixed in the scale of pay of the deputation post in terms of Department of Personnel & Training O.M. No.6/8/2009-Estt.(Pay II), dated 17.06.2010 (as amended from time to time).

Deputation (including short term contract):

- (A). Officers under the Central Government or Government OF Public Undertakings or recognized Research Institutions or Autonomous Bodies or statutory organisations:
- (a)(i) holding an analogous post on regular basis in parent cadre or department; or
- (ii) holding the post in the grade in level-14 (Rs. 1,44,200-2,18,200/-) in the pay matrix or equivalent with three years regular service; and
- (b) Possessing the following educational qualifications and experience:
- Degree in Civil Engineering from a recognized University; and
- (ii) Eighteen years' experience in the field of Investigation or Planning or Design or Execution or Operation and Maintenance of Water Resources Development Projects or Environment or Administration Management, or
- (iii) Eighteen years' experience in the Master preparation of Plans Comprehensive Plans for Flood Management River Training Works or General Administration.
- (B). All India Service officers:
- (i) holding an analogous post in the Central Government or State Government on regular basis: or
- (ii) with three years regular service in level-14 (Rs.1,44,200-2,18,200/-) in the pay matrix or equivalent in Central Government or State

"Government; and

(iii) Eighteen years' experience in the field of Investigation or Planning or Design or Execution or Operation and Maintenance of Water Resources Development Projects or Environment or Administration or Management.

Any officer once selected shall not be allowed to withdraw or refuse to join; and it shall be the responsibility of the sponsoring authority to release the selected officers within one month of the issue of the appointment order.

9. Age

The maximum age limit for appointment by deputation or short term contract appointment shall be not exceeding fifty eight years as on the closing date of receipt of applications.

Details of eligibility criteria for the post of Financial Adviser are mentioned below-

Post-2: Financial Adviser

Applications are invited for filling up of the one (01) post of Financial Adviser in the Level-14 (Rs.1,44,200-2,18,200/-) by deputation (including short-term contract) in the Brahmaputra Board, Guwahati a statutory body setup under an Act of Parliament (46 of 1980) under the administrative control of the Department of Water Resources, River Development & Ganga Rejuvenation.

2. BRIEF JOB RESPONSIBILITIES:

The Financial Adviser shall be under the administrative control of the Board. He shall advise the Board on all matters relating to revenue and expenditure. He shall have the right to refer to the Board any matter which in his opinion ought to be brought to its notice. He shall be responsible for the maintenance of the accounts of the Board and conduct internal audit of these accounts. He shall also exercise such powers and duties as prescribed in the rule 16 of the subordinate legislation under the Brahmaputra Board Act, 1980.

3. **ELIGIBILITY CRITERIA**:

Deputation (including short-term contract):

Officers in the Indian Audit and Accounts Service or Indian Defence Accounts Service or Indian Railway Accounts Service or Indian Post and Telegraphs (Finance and Accounts Service) or Indian Civil Accounts Service:-

- (i) holding an analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or
- (ii) holding the post in level-13A (Rs.1,31,100-2,16,600/-) or level-13 (Rs.1,18,500-2,14,100/-) in pay matrix or equivalent with two or three years regular service respectively in the grade; or
- (iii) Qualified Chartered Accountant or Cost Accountant or M.B.A. with specialization in Finance with experience of at least fifteen years in handling Corporate accounting and Corporate finance matters in Central Government or State Government or Public Sector Undertakings or Statutory or Autonomous organisations under Central Government or State Governments.

4. PERIOD OF DEPUTATION:

The period of deputation (including short-term contract) including period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or Department of the Central Government or State Governments shall ordinarily not exceed five years.

- 5. <u>AGE</u>: The maximum age-limit for appointment by deputation or short term contract shall not be exceeding fifty-eight years as on the closing date of receipt of applications.
- 6. The cut-off date for determining the qualifying service/experience and age of the candidate for the post will be the last date of receipt of application.

- Any officer once selected shall not be allowed to withdraw or refuse to join; and it shall be the responsibility of the sponsoring authority to release the selected officers within one month of the issue of the appointment order.
- 8. The officer selected will have the option to draw his grade pay plus deputation (duty) allowance or to have his pay fixed in the scale of pay of the deputation post in terms of Department of Personnel & Training O.M. No.6/8/2009-Estt.(Pay II), dated 17.06.2010 (as amended from time to time).
- 9. Applications with full particulars of the applicant in <u>Annexure-IV</u> should reach to Shri Rajesh Kaushik, Under Secretary(E-III), Department of Water Resources, River Development & Ganga Rejuvenation, Shram Shakti Bhawan, Rafi Marg, New Delhi- 110001, <u>within 60 days</u> from the date of publication of this advertisement in the Employment News. All applications will be treated in strict confidence. Those from Government and Public Sector should apply "Through Proper Channel." Applications without full details as asked for are liable to be rejected.
- 10. Applications of only such officers/candidates will be considered as are routed through proper channel and are accompanied with (i) Bio-data (in quadruplicate) in the Proforma (ii) Photocopies of ACRs/APARs for the last five years duly attested by an officer not below the rank of Under Secretary (iii) Vigilance clearance (iv) Statement giving details of major or minor penalties imposed on the officer, if any, during the last ten years (v) Integrity Certificate and (vi) Cadre Clearance. All the requisite information/documents should be as per the proforma in Annexure-IV.

. 1	Name of Post	: 1	Financial Adviser, Brahmaputra Board
2.	Number of Posts		01 (one)
3.	Classification		Group 'A', Non-Ministerial
4.	Level in the pay matrix	:	Level-14 (Rs.1,44,200-2,18,200/-)
5.	Period of deputation		The period of deputation (including short-term contract) including period of deputation (including short-term contract) in another excadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or Department of the Central Government or State Governments shall ordinarily not exceed five years.
6.	Duties and responsibilities of the post		The Financial Adviser shall be under the administrative control of the Board. He shall advise the Board on all matters relating to revenue and expenditure. He shall have the right to refer to the Board any matter which in his opinion ought to be brought to its notice. He shall be responsible for the maintenance of the accounts of the Board and conduct internal audit of these accounts. He shall also exercise such powers and duties as prescribed in the rule 16 of the subordinate legislation under the Brahmaputra Board Act, 1980.
7.	Pay & Allowances	1:	The officer selected will have the option to

•		•	
	•		
er e			
., :	:	1	
	•		Idraw his grade pay plus deputation (duty)
•			allowance or to have his pay fixed in the scale of pay of the deputation post in terms of
			Department of Personnel & Training O.M.
			No.6/8/2009-Estt (Pay II), dated 17.06.2010
			(as amended from time to time).
	8.	Qualifications, Experiences and	: Deputation (including short-term contract):
	-	Eligibility required for the post	Officers in the Indian Audit and Accounts
			Service or Indian Defence Accounts Service
			or Indian Railway Accounts Service or Indian
	9		Post and Telegraphs (Finance and Accounts Service) or Indian Civil Accounts Service:
			(i) holding an analogous post on regular basis
			in the parent cadre or department; or
			(ii) holding the post in level-13A
			(Rs.1,31,100-2,16,600/-) or level-13
	'		(Rs.1,18,500-2,14,100/-) in pay matrix or
			equivalent with two or three years regular
-			service respectively in the grade; or
			(iii) Qualified Chartered Accountant or Cost Accountant or M.B.A. with specialisation in
		* 2	Finance with experience of at least fifteen
			years in handling Corporate accounting and
			Corporate finance matters in Central
			Government or State Government or Public
			Sector Undertakings or Statutory or
			Autonomous organisations under Central Government or State Governments.
	1 N 1 1		Government of State Governments.
· ·			Any officer once selected shall not be allowed
·			to withdraw or refuse to join; and it shall be
			the responsibility of the sponsoring authority
			to release the selected officers within one
		A = 0	month of the issue of the appointment order.
•	9.	Age	The maximum age-limit for appointment by
		·	deputation or short term contract shall not be exceeding fifty-eight years as on the closing
			date of receipt of applications.
	·	1	Take of topolific of applications.

Details of eligibility criteria for the post of Secretary are mentioned below-

Post-3: SECRETARY

Applications are invited for filling up the 01 (one) post of Secretary in the Level-13A in the pay matrix (Rs.1,31,100–2,16,600/-) by deputation (including short-term contract) in the Brahmaputra Board, Guwahati a statutory body setup under an Act of Parliament (46 of 1980) under the administrative control of the Department of Water Resources, River Development & Ganga Rejuvenation, Ministry of Jal Shakti.

2. BRIEF JOB RESPONSIBILITIES:

The Secretary shall be under the administrative control of the Board. He shall fix the meetings of the Board under the orders of Chairman and issue notices for the Board meetings. He shall prepare List of Business to be transacted at the meetings with explanatory notes on each item and circulate it to other members. He shall prepare the minutes of the proceedings of every meeting. After approval of the minutes by the Chairman, the Secretary shall communicate the decisions to the members of the Board and other authorities. Secretary shall place the Budget proposals prepared by the General Manager in consultation with the Financial Adviser before the Board for its approval.

3. ELIGIBILITY CRITERIA:

Deputation (including short-term contract): Officers of the Central Government or State Government or Union territory Administrations or State Electricity Boards or Public Sector Undertakings or Statutory organisations or Autonomous bodies or Universities or Recognised research institutions:

- (A) (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or
- (ii) holding the post in level-13 (Rs.1,23,100 2,15,900/-) in pay matrix with two years' regular service in the grade; or
- (iii) holding the post in level-12 (Rs.78,800 2,09,200/-) in pay matrix with six years' regular service in the grade; and
- (b) possessing the following educational qualifications and experience, namely:-
- (i) Degree in Civil Engineering from a recognised University or equivalent; and
- (ii) twelve years experience in the Civil Engineering works with specialisation in the field of Water Resources Projects or Management and General Administration, or
- (B) (i) All India Service officers holding the post in level-13 (Rs.1,23,100 2,15,900/-) in pay matrix with two years' regular service in Central Government or State Governments and having twelve years' experience in Administration; or
- (ii) All India Service officers holding the post in level-12 (Rs.78,800 2,09,200/-) in pay matrix with six years' regular service in Central Government or State Governments and having twelve years' experience in Administration.

Note- The departmental officers in the feeder grade who are in direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation (including Short-term contract) basis. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

4. PERIOD OF DEPLIFATION

The period of deputation (including short-term contract) including period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed five years.

AGE:

The maximum age for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding fifty-six years on the closing date of receipt of applications.

- 6. The cut-off date for determining the qualifying service/experience and age of the candidate for the post will be the last date of receipt of application.
- 7. Any officer once selected shall not be allowed to withdraw or refuse to join; and it shall be the responsibility of the sponsoring authority to release the selected officers within one month of the issue of the appointment order.
- 8. The officer selected will have the option to draw his grade pay plus deputation (duty) allowance or to have his pay fixed in the scale of pay of the deputation post in terms of Department of Personnel & Training O.M. No.6/8/2009-Estt.(Pay II), dated 17.06.2010 (as amended from time to time).
- 9. Applications with full particulars of the applicant in <u>Annexure-IV</u> should reach to Shri Rajesh Kaushik, Under Secretary(E-III), Department of Water Resources, River Development & Ganga Rejuvenation, Shram Shakti Bhawan, Rafi Marg, New Delhi- 110001, <u>within 60 days</u> from the date of publication of this advertisement in the Employment News. All applications will be treated in strict confidence. Those from Government and Public Sector should apply "Through Proper Channel." Applications without full details as asked for are liable to be rejected.
- 10. Applications of only such officers/candidates will be considered as are routed through proper channel and are accompanied with (i) Bio-data (in quadruplicate) in the Proforma (ii) Photocopies of ACRs/APARs for the last five years duly attested by an officer not below the rank of Under Secretary (iii) Vigilance clearance (iv) Statement giving details of major or minor penalties imposed on the officer, if any, during the last ten years (v) Integrity Certificate and (vi) Cadre Clearance. All the requisite information/documents should be as per the proforma in Annexure-IV.

1.	Name of Post	: Secretary, Brahmaputra Board, a statutory body
2.	Number of Posts	: 01 (one)
3.	Classification	: Group 'A', Non-Ministerial
4.	Level in the pay matrix	: Level-13A in the pay matrix (Rs.1,31,100 – 2,16,600/-)
5.	Period of deputation	: The period of deputation (including short-term contract) including period of deputation (including short-term contract) in another excadre post held immediately preceding this

	pr pr	
		appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed five years.
6.	Duties and responsibilities of the post	The Secretary shall be under the administrative control of the Board. He shall fix the meetings of the Board under the orders of Chairman and issue notices for the Board meetings. He shall prepare List of Business to be transacted at the meetings with explanatory notes on each item and circulate it to other members. He shall prepare the minutes of the proceedings of every meeting. After approval of the minutes by the Chairman, the Secretary shall communicate the decisions to the members of the Board and other authorities. Secretary shall place the Budget proposals prepared by
		the General Manager in consultation with the Financial Adviser before the Board for its approval.
7.	Pay & Allowances	The officer selected will have the option to draw his grade pay plus deputation (duty) allowance or to have his pay fixed in the scale of pay of the deputation post in terms of Department of Personnel & Training O.M. No.6/8/2009-Estt.(Pay II), dated 17.06.2010 (as amended from time to time).
8.	Qualifications, Experiences and Eligibility required for the post	Deputation (including short-term contract): Officers of the Central Government or State Government or Union territory Administrations or State Electricity Boards or Public Sector Undertakings or Statutory organisations or Autonomous bodies or Universities or Recognised research institutions: (A) (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) holding the post in level-13 (Rs.1,23,100 — 2,15,900/-) in pay matrix with two years' regular service in the grade; or (iii) holding the post in level-12 (Rs.78,800 —
		2,09,200/-) in pay matrix with six years' regular service in the grade; and (b) possessing the following educational qualifications and experience, namely:- (i) Degree in Civil Engineering from a recognised University or equivalent; and (ii) twelve years experience in the Civil Engineering works with specialisation in the field of Water Resources Projects or Management and General Administration or

•

$\frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} \right) \right) \right) \right) \right)}{1} \right) \right) \right)} \right) \right)} \right)} \right)} \right)} \right) } \right) $			
		(B) (i) All India Service officers holding the post in level-13 (Rs.1,23,100 - 2,15,900/-) in pay matrix with two years' regular service in	•
		Central Government or State Governments and having twelve years' experience in Administration; or	
		(ii) All India Service officers holding the post in level-12 (Rs.78,800 - 2,09,200/-) in pay matrix with six years' regular service in	
		Central Government or State Governments and having twelve years' experience in Administration.	
		Note- The departmental officers in the feeder grade who are in direct line of promotion shall	
		not be eligible for consideration for appointment on deputation (including Short-term contract) basis. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for	
		appointment by promotion. Any officer once selected shall not be allowed	
		to withdraw or refuse to join; and it shall be the responsibility of the sponsoring authority to release the selected officers within one	
9. Age	·	month of the issue of the appointment order. The maximum age for appointment by	
J. Figs		deputation (including short-term contract) shall be not exceeding fifty-six years on the closing date of receipt of applications.	
		j jelosning date of receipt of applications.	
			•
			•

Bio Data Proforma

- Name and address (in Block Letters): Telephone Number:
- 2. Date of Birth (in Christian era):
- 3. Date of retirement under Central Government Rules:
- 4. Educational Qualifications:
- 5. Whether educational and other qualifications required for the posts are satisfied (if any qualification has been treated as equivalent to those prescribed in the rules, state the authority for the same)

Qualifications / Experience Required	Qualifications / Experience possessed by the Officer
Essential	
Desirable	

- 6. Please state clearly whether in the light of entries made by you above, you meet the requirements of the post.
- 7. Details of employment, in chronological order (enclose a separate sheet, duly authenticated by your signature, if the space below is insufficient)

Office/Institution/	Post held	From	То	Pay in the	Nature of
organisation	and service			pay band	duties
	/ cadre to			and	
	which it		Ì	classification	
	belongs			of post	

- 8. Nature of present employment, i.e.,
- i. Ad-hoc basis
- ii. Regular / on temporary basis
- iii. Level in the pay matrix
 - 9. In case the present employment is held on deputation/contract basis, please state:
 - a. The date of initial appointment
 - b. Period of appointment on deputation/contract
 - c. Name of the parent office/organisation to which you belong
 - 10. Additional details about present employment. Please state whether working under:
 - a. Central Government
 - b. State Government
 - c. Autonomous organisation
 - d. Government Undertaking
 - e. Universities
 - 11. Are you in the Revised Pay Structure? If yes, give the Date from which the revision took place and also Indicate the pre-revised scale
 - 12. Total emoluments per month now drawn:

- 13. Additional information, if any, which you would like to mention in support of your suitability for the post. Enclose a separate sheet, if the space is insufficient.
- 14. Whether belonging to SC/ST
- 15. Remarks

Signature of the candidate

Date:

It is certified that information furnished by the applicant is verified with his / her service record and found correct.

Countersigned with office seal by the authorized signatory of the parent office

Signature of the Competent Authority

VIGILANCE CLEARANCE CERTIFICATE

pending or	contemplated against
	, who has in the
	on deputation
basis.	. •
	(Authorised signatory)
	Name & Office Seal :
	Date:
NO PENAL	TY CERTIFICATE
Certified that no minor/major penalty has	s been imposed during the last ten years on
	, who has
	in the
basis.	on deputation
busic.	
	(Authorised signatory) Name & Office Seal :
	Date:
INTEGRIT	Y CERTIFICATE
After scrutinizing An	nual Confidential Report of
	, who has
applied for the post of	in the on deputation
basis, it is certified that his/her integrity is be	
,	
(To be signed by	an officer of the rank of Deputy Secretary or above) Name & Office Seal:
Date:	Name & Onice Seal.
	\cdot

स. ए 12023/1/2023-ई-॥

भारत सरकार

जल शक्ति संत्रालय

जल संसाधन नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग,

नई दिल्ली, दिनांक : 21 अगस्त, 2023

सेवा में

- 1. भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों के सचिव।
- 2. सभी राज्य सरकारों/केन्द्र शासित प्रदेशों के मुख्यि सचिव।
- 3. जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग के अंतर्गत सभी संगठन।

विषय: ब्रह्मपुत्र बोर्ड, गुवाहाटी में प्रतिनियुक्ति (लघु अवधि संविदा सहित) आधार पर तीन (03) साविधिक पदों को भरने के लिए विजापन का प्रकाशन।

महोदय/ महोदया,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग के अधीन एक साविधिक निकाय, ब्रहमपुत्र बोर्ड, गुवाहाटी, में प्रतिनियुक्ति (लघु अविध सविदा सिहत) आधार पर निम्मलिखित पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं:

क्र. सं.	पद का नाम	वेतन स्तर	पद
1	अध्यक्ष	स्तर-15 (रूपए 182200-224100/-)	1
2.	वितीय सलाहकार	स्तर-14 (रुपए 144200-218200/-)	1
3	सचिव	स्तर-13ए (रूपए 131100-216600/-)	1

- 2. इस परिपत्र के अनुलग्नक । से IV में इन पदों क विवरण सहित प्रत्येक पद की यांग्यता का मापदंड दिया गया है।
- 3. सेवारत केन्द्र सरकार कर्मचारियों के संबंध में प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्ति के संबंध में दिए जाने वाले लाभ समय -समय पर यथासंशोधित व्यय विभाग के दिनांक 22.9.1998 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 11 (2)/97-ई.॥ (बी), दिनांक 2.4.2013 के कार्यालय ज्ञापन सं. 11 (6)/2008-ई.॥ (बी) और दिनांक 14.8.2018 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 28(1)/2017-ई.॥ (बी) के अंतर्गत प्रदान किए जायेंगे।

पदोन्नति पर दिचार करने के ।लए भारत अणुणान - --

5. रोजगार समाचार में इस विज्ञापन के प्रकाशित होने की तारीख से, 60 दिन के भीतर श्री राजेश कौशिक, अवर सचिव (ई-III), जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली-110001 को उक्त पदों में नियुक्ति पर विचार हेतु सभी संगठन द्वारा अपने अधिकारियों के बीच इस परिपत्र का व्यापक प्रचार किया जाए और उस योग्य एवं इच्छुक अधिकारियों का नामांकन किया जाए।

भवदीय,

(राजेश कौशिक)

अवर सचिव, भारत सरकार

दूरभाष: 23766160

अध्यक्षः ब्रह्मपुत्र बोर्ड के पद के लिए पात्रता सानदंड का ब्यारा नीचे दिया गया है:-

पद-1 अध्यक्ष

जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में संसद के एक अधिनियम (1980 का 46) के अंतर्गत गठित एक साविधिक निकाय ब्रह्मपुत्र बोर्ड गुवाहाटी में प्रतिनियुक्ति (अल्पावधि संविदा सहित) पर वेतन मेट्रिक्स में स्तर-15 (1,82,200-2,24,100 रूपए) में अध्यक्ष का एक पद भरने के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।

2. कार्य के संक्षिप्त दायित्व

अध्यक्ष ब्रहमपुत्र बोर्ड के प्रमुख हैं। वह बोर्ड के संपूर्ण प्रभारी हैं तथा उसके कुशल और सुचारू प्रक्रिया के लिए उत्तरदायी हैं। वह ब्रहमपुत्र बोर्ड के अधिनियमों और नियमों में दिए गए तथा साथ ही समय-समय पर बोर्ड दवारा प्रत्योजित शक्तियों का पालन करेंगे।

3. पात्रता मानदंड

प्रतिनियुक्ति (लघु अवधि संविदा सहित):

- (क) केन्द्र अथवा राज्य सरकार अथवा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम अथवा मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं अथवा स्वायत निकायों अथवा सांविधिक संगठनों के ऐसे अधिकारी-
- (क) (i) मूल संवर्ग या विभाग में जो नियमित आधार पर सदृश्यी पद धारण किए हुए हैं; अथवा
- (ii) मूल संवर्ग में वेतन मेंट्रिक्स में लेवल-14 (1,44,200-2,18,200/-) रूपये अथवा समतुल्य वेतनमान में नियमित आधार पर निय्क्ति के बाद ग्रेड में 3 वर्ष की सेवा दी हो; और
- (ख) जिसके पास निम्नलिखित शैक्षणिक अर्हता एवं अन्भव होः
- (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री।
- (ii) जल संसाधन विकास परियोजनाओं के क्षेत्र में निरीक्षण या आयोजना या डिजाइन या कार्यान्वकयन या संचालन या अनुरक्षण या पर्यावरण अथवा प्रशासन अथवा प्रबंधन में 18 वर्ष का अनुभव और
- (iii) बाढ प्रबंधन या नदी प्रशिक्षण निर्माण कार्यो अथवा सामान्य प्रशासन हेतु मास्टर योजनाओं या व्यापक योजनाओं को तैयार करने में 18 वर्ष का अनुभव।

(ख) अखिल भारतीय सेवा अधिकारी:

- i. नियमित आधार पर केन्द्र सरकार यां राज्यि सरकार में सदृश्ये पद धारण किए हए हैं: अथवा
- ii. वेतन मेंट्रिक्स में लेवल-14 (1,44,200-2,18,200/-) रूपये अथवा समतुल्य वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद ग्रेड में 3 वर्ष की सेवा दी हो; और
- iii. जल संसाधन विकास परियोजनाओं के क्षेत्र में निरीक्षण या आयोजना या डिजाइन या कार्यान्वयन या संचालन या अनुरक्षण या पर्यावरण अथवा प्रशासन अथवा प्रबंधन में 18 वर्ष का अनुभव हो।

4. प्रतिनियुक्ति की अवधि

प्रतिनियुक्ति की अवधि (लघु अवधि संविदा सहित) सामान्यतया केन्द्र सरकार के समान अथवा किसी अन्य संगठन या विभाग ने इस नियुक्ति से तुरंत पहले धारित अन्य संवर्ग वाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि (लघु अवधि संविदा सहित) सहित 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

- 5. <u>आयु</u>- प्रतिनियुक्ति या लघु अवधि संविदा द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतन आयु सीमा आवंदन प्राप्त होने की निर्धारित अंतिम तिथि तक 58 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
- 6. इस पद के लिए अभ्यार्थी की पात्र सेवा/अनुभव और आयु का निर्धारण करने के लिए अंतिम तिथि आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तारीख होगी।
- 7. किसी भी अधिकारी को चयनित होने के बाद आवेदन वापस लेने अथवा सेवाग्रहण करने से इंकार करने की अनुमति नहीं होगी; और यह प्रायोजित करने वाले प्राधिकारी की जिम्मेदारी होगी कि वह चयनित अधिकारी को नियुक्ति आदेश जारी किए जाने के एक माह के अंदर कार्य मुक्त करे।
- 8. चयनित अधिकारी के पास कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 17.06.2010 के का.जा. सं. 6/8/2009-स्थापना (वेतन-ii) (समय-समय पर यथा संशोधित) के अनुसार अपना ग्रेड वेतन और प्रतिनियुक्ति (इयूटी) भत्ता आहरित करने अथवा प्रतिनियुक्ति के पद के वेतनमान में अपना वेतन निर्धारित करवाने का विकल्पक होगा।
- 9. <u>अनुलग्नक-IV</u> में आवेदक के संपूर्ण विवरण के साथ आवेदन रोजगार समाचार में यह विज्ञापन प्रकाशित होने की तारीख से <u>60 दिन के भीतर</u>, श्री राजेश कौशिक, अवर सचिव(ई-III), जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली-110001 को पहुंच जाना चाहिए। सभी आवेदकों की जानकारी गुप्त रखी जाएगी। सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र के आवेदकों को "उचित माध्यंम से" आवेदन करना चाहिए। विज्ञापन में मांगे गए संपूर्ण ब्यौरे के बिना किए गए आवेदन रदद किए जा सकते हैं।
- 10. मात्र ऐसे अधिकारी/अध्यार्थी के आवेदन पर विचार किया जाएगा, जो उचित माध्यम से भेजे गए हैं और जिनके साथ (i) प्रपत्र में जीवन वृत (चार प्रति) (ii) अवर सचिव श्रेणी के अधिकारी से सत्यापित विगत पाँच वर्ष की एसीआर/एपीएआर की प्रतिलिपि (iii) सतर्कता स्वीकृति (iv) पिछले दस वर्षों के दौरान लगाए गए, यदि कोई हो, बड़ी या छोटी शास्ति का ब्योररा और (v) सत्यनिष्ठा प्रमाण पत्र तथा (vi) संवर्ग स्वीकृति संलग्न हो। सभी अपेक्षित सूचनाएं/दस्तावेज अनुलग्नक-IV में दिए गए प्रॉफोर्मा के अनुसार होनी चाहिए।
- 11. विज्ञापन और आवेदन का प्रारूप मंत्रालय की वेब साइट- http://jalshakti-dowr.gov.in से डाउनलोड भी किया जा सकता है ।

1	पद का नाम	अध्यक्ष, ब्रहमपुत्र बोर्ड, एक सांविधिक निकाय	_
2	पदों की संख्या	01 (एक)	
3	वर्गीकरण	समूह 'क' अनुसचिवीय	

4	वेतन मेट्रिक्स में स्तर	ਲੇਬਲ-15 (1,82,200-2,24,100/-)
<u></u>		
5	प्रतिनियुक्ति की अवधि	प्रतितियुक्ति की अवधि (लघु अवधि संविदा सहित) सामान्य्तया
		केन्द्र सरकार के समान अथवा किसी अन्यक संगठन या विभाग
		ने इस नियुक्ति से तुरंत पहले धारित अन्यस संवर्ग बाह्य पद पर
		प्रतिनियुक्ति की अवधि (लघु अवधि संविदा सहित) सहित 5 वर्ष
		से अधिक नहीं होगी।
6	पद के कर्तव्य एवं	अध्यक्ष ब्रहमपुत्र बोर्ड के प्रमुख हैं। वह बोर्ड के संपूर्ण प्रभारी हैं
	दायित्व	तथा उसके कुशल और सुचारू प्रक्रिया के लिए उत्तरदायी हैं। वह
		ब्रह्मपुत्र बोर्ड के अधिनियमों और नियमों में दिए गए कार्यों का
-		निर्वहन करेंगे तथा साथ ही समय-समय पर बोर्ड द्वारा उन्हें
		प्रत्योजित शक्तियों का उपयोग करेंगे।
7	वेतन एवं भते	चयन किए गए अधिकारी को, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के
		दिनांक 17.06.2010 के कार्यालय ज्ञापन संख्याु 6/8/2009-
		स्थानपना (वेतन ॥) {समय-समय पर यथा-संशोधित} की शर्तों के
		अनुसार अपना ग्रेड वेतन और प्रतिनियुन्ति (डयूटी) भत्ता आहरित
-		करने अथवा प्रतिनियुक्ति पद के वेतनमान में अपना वेतन नियत
		कराने का विकल्प(होगा।
8	पद के लिए आवश्यक	प्रतिनियुक्ति (लघु अवधि संविदा सहित):
	अर्हताएं, अनुभव और	(क) केन्द्र अथवा राज्य सरकार अथवा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम
	पात्रता	अथवा मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं अथवा स्वायत निकार्यो
	-	अथवा सांविधिक संगठनों के ऐसे अधिकारी-
		(क) (i) मूल संवर्ग या विभाग में जो नियमित आधार पर सदृश्या
		पद धारण किए हुए हैं; अथवा
		(ii) मूल संवर्ग में वेतन मैट्रिक्स में लेवल-14 (1,44,200-
		2,18,200/-) रूपये अथवा समतुल्य वेतनमान में नियमित आधार
		पर नियुक्ति के बाद ग्रेड में 3 वर्ष की सेवा दी हो; और
		(ख) जिसके पास निम्नलिखित शैक्षणिक अर्हता एवं अनुभव होः
		(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरिंग में
		स्नातक की डिग्री।
		(ii) जल संसाधन विकास परियोजनाओं के क्षेत्र में निरीक्षण या
	4	आयोजना या डिजाइन या कार्यान्वकयन या संचातन या अनुरक्षण
		या पर्यावरण अथवा प्रशासन अथवा प्रबंधन में 18 वर्ष का अनुभव
	1	और
		(iii) बाढ प्रबंधन या नदी प्रशिक्षण निर्माण कार्यों अथवा सामान्य
		प्रशासन हेत् मास्टर योजनाओं या व्यापक योजनाओं को तैयार
		करने में 18 वर्ष का अनुभव।
·		(ख) अखिल भारतीय सेवा अधिकारी:
		

		i नियनित आधार पर केन्द्र सरकार या राज्यि सरकार में
		सहश्ये पद धारण किए हुए हैं: अथवा
		ii. वेतन मैट्रिक्स में लेवल-14 (1,44,200-2,18,200/-) रूपय
		अथवा समतुल्य वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद
		ग्रेड में 3 वर्ष की सेवा दी हो; और
4		iii. जल संसाधन विकास परियोजनाओं के क्षेत्र में निरीक्षण या
	•	आयोजना या डिजाइन या कार्यान्वयन या संचालन या अनुरक्षण
		या पर्यावरण अथवा प्रशासन अथवा प्रबंधन में 18 वर्ष का अनुभव
		हो।
		किसी भी अधिकारी को चयनित होने के बाद आवेदन वापस लेने
		अथवा सेवाग्रहण करने से इंकार करने की अन्मति नहीं होगी; और
		यह प्रायोजित करने वाले प्राधिकारी की जिम्मेरदारी होगी कि वह
		चयनित अधिकारी को नियुक्ति आदेश जारी किए जाने के एक
		माह के अंदर कार्यमुक्त करे।
9	आय्	प्रतिनियुक्ति अथवा अल्पकालीन संविदा द्वारा नियुक्ति के लिए
•		अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त होने की निर्धारित अंतिम
		तिथि तक 58 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

वितीय सलाहकार के पद के लिए योग्यता मानदंड का विवरण निन्नवत है-

पद-2 वितीय सलाहकार

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत संसद के अधिनियम (1980 का 46) के अंतर्गत स्थापित सांविधिक निकाय ब्रहमपुत्र बोर्ड, गुवाहाटी में प्रतिनियुक्ति (अल्पाविध संविदा सहित) आधार पर लेवल-14 (1,44,200-2,18,200/-) रूपए में वितीय सलाहकार का (01) एक पद भरने के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।

2. कार्य के संक्षिप्त दायित्व

वित्त सलाहकार बोर्ड के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन होगा। वह राजस्व और व्यय से संबंधित सभी मामलों पर बोर्ड को सलाह देगा। उसके पास किसी भी मामले को जिसे वह बोर्ड के ध्यान में लाना अपेक्षित समझे, बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करने का अधिकार होगा। बोर्ड के लेखों के रख-रखाव की जिम्मेदारी उसकी होगी और वह इन लेखों की आंतरिक लेखा परीक्षा करेगा। वह ब्रहमपुत्र बोर्ड अधिनियम, 1980 के तहत अधीनस्थ विधान के नियम 16 में निर्धारित ऐसी शक्तियों और दायित्वों का भी निर्वहन करेगा।

3. <u>पात्रता मानदंड</u>

प्रतिनियुक्ति (अल्प अवधि संविदा सहित):

भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा अथवा भारतीय रक्षा सेवा लेखा अथवा भारतीय रेलवे लेखा सेवा अथवा भारतीय डाक और तार (वित्त और लेखा सेवा) अथवा भारतीय सिविल लेखा सेवा के ऐसे अधिकारी-

- (i) जो मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदश पद धारण किए हए हैं; अथवा
- (ii) वेतन मेंट्रिक्स में लेवल-13ए (1,31,100-2,16,600/-) रूपए अथवा लेवल-13 (1,18,500-2,14,100/-) रूपए या समत्ल्य वेतनमान में नियमित आधार पर दो या तीन वर्ष की सेवा की हो;
- (iii) अहर्क चार्टर एकाउन्टेंट अथवा कोस्ट एकाउन्टेंट अथवा एमबीए के साथ केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा सार्वजिनक क्षेत्र का उपक्रम अथवा सांविधिक अथवा केंद्र सरकार या राज्य सरकारों के तहत स्वायत संगठन में कॉपॉरेट लेखों और कॉपॉरेट वित्त मामलों के कार्य में कम से कम 15 वर्ष के अनुभव के साथ वित्त में विशेषज्ञता हो।

4. प्रतिनियुक्ति की अवधि

प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्प अवधि संविदा सहित) केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकारों अथवा किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से तुरंत पहले धारित अन्य संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्प अवधि संविदा सहित) सहित 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

5. आयु- प्रतिनियुक्ति या अल्प अवधि संविदा द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त होने की निर्धारित अंतिम तिथि तक 58 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

- 6. इस पट के लिए अस्यर्थी की पात्र सेवां/अनुभव और आयु का निर्धारण करने के लिए अंतिस तिथि आवंदस प्राप्त होने की अंतिस तारीख होगी।
- 7. किसी भी अधिकारी को चयनित होने के बाद आवेदन वापस लेने अथवा सेवाग्रहण करने से इंकार करने की अनुमित नहीं होगी; और यह प्रायोजित करने वाले प्राधिकारी की जिम्मेदारी होगी कि वह चयनित अधिकारी को नियुक्ति आदेश जारी किए जाने के एक नाह के अंदर कार्यमुक्त कर दे।
- 8. चयनित अधिकारी के पास कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 17.06.2010 के का.जा. सं. 6/8/2009-स्थापना (वेतन-ii) (समय-समय पर यथा संशोधित) के अनुसार अपना ग्रेड वेतन और प्रतिनियुक्ति (इ्यूटी) भत्ता आहरित करने अथवा प्रतिनियुक्ति के पद के वेतनमान में अपना वेतन नियत करवाने का विकल्प होगा।
- 9. <u>अनुलग्नक-IV</u> में आवेदक के संपूर्ण विवरण के साथ आवेदन के रोजगार समाचार में यह विज्ञापन प्रकाशित होने की तारीख से <u>60 दिन के अंदर</u>, श्री राजेश कौशिक, अवर सचिव(ई-III), जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली-110001 को पहुंच जाना चाहिए। सभी आवेदकों की जानकारी गुप्त रखी जाएगी। सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र के आवेदकों को "उचित माध्यम से" आवेदन करना चाहिए। विज्ञापन में मांगे गए संपूर्ण ब्यौरे से रहित आवेदन रदद किए जा सकते हैं।
- 10. सिर्फ ऐसे अधिकारी/अभ्यर्थी के आवेदन पर विचार किया जाएगा, जो उचित माध्यम से भेजे गए हैं और जिनके साथ (i) दिए गए प्रपत्र में जीवन वृत (चार प्रति) (ii) कम से कम अवर सचिव श्रेणी के अधिकारी से सत्यापित विगत पाँच वर्ष की एसीआर/एपीएआर की प्रतिलिपि (iii) सतर्कता स्वीकृति (iv) पिछले दस वर्षों के दौरान, अधिकारी पर लगाई गई, यदि कोई हो, बड़ी या छोटी शास्ति का ब्यौरा और (v) सत्यनिष्ठा प्रमाण पत्र तथा (vi) संवर्ग स्वीकृति संलग्न हो। सभी अपेक्षित जानकारी/दस्तावेज अनुलग्नक-IV में दिए गए प्रारूप के अनुसार होने चाहिए।

1	पद का माम	वित्त सलाहकार, ब्रहमपुत्र बोर्ड
2	पदों की संख्या	01 (एक)
3	वर्गीकरण	समूह 'क' अनुसचिवीय
4	वेतन मेट्रिक्स में स्तर	ਲੇਕਲ-14 (1,44,200-2,18,100/-)
5	प्रतिनियुक्ति की अवधि	प्रतिनियुक्ति की अवधि (लघु अवधि संविदा सहित) केन्द्र सरकार
		के सदृश अथवा किसी अन्य संगठन या विभाग ने इस नियुक्ति से
		तुरंत पहले धारित अन्य संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की
		अविध (अल्प अविध संविदा सिहत) 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
6	पद के कर्तव्य एवं	वित सलाहकार बोर्ड के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन होगा। वह राजस्व
	दायित्द	और व्यय से संबंधित सभी मामलों पर वोई को सलाह देगा।
	: : :	उसके पास किसी भी मानले को जिसे वह बोर्ड के ध्यान में लाना
		अपेक्षित समझे, बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करने का अधिकार होगा।

			and the second of the second o	
• ;				
-				
	* .			
г				
	••	•	बोर्ड के लेखों के एख-एखाँव की जिस्सेदारी उसकी होगी और वह	
	:		इन लेखों की आंतरिक लेखा परीक्षा करेगा। वह ब्रह्मपुत्र बोर्ड	
	;		अधिनियम, 1980 के तहत अधीनस्थ विधान के नियम 16 में	
			निर्धारित ऐसी शक्तियों और कार्यों को भी करेगा।	
	7.	वेतन एवं भन्ने	चयनित अधिकारी को, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक	
			17.06.2010 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 6/8/2009-स्थापना	
			(वेतन-।।) {समय-समय पर यथा-संशोधित} की शर्तों के अनुसार	
			अपना ग्रेंड वेतन और प्रतिनियुक्ति (डयूटी) भत्ता आहरित करने	
			अथवा प्रतिनियुक्ति पद के वेतनमान में अपना वेतन नियत कराने	
			का विकल्प होगा।	
	8	पद के लिए आवश्यक	प्रतिनियुक्ति (अल्पावधि संविदा सहित) भारतीय लेखा परीक्षा और	
		अर्हताएं, अनुभव और	लेखा सेवा अथवा भारतीय रक्षा सेवा लेखा अथवा भारतीय रेलवे	
		पात्रता	लेखा सेवा अथवा भारतीय डाक और तार (वित और लेखा सेवा)	
			अथवा भारतीय सिविल लेखा सेवा के ऐसे अधिकारी-	
			(i) मूल संवर्ग अथवा विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद	
	ļ		धारण किए हुए हैं; अथवा	
			(ii) वेतन मेंट्रिक्स में लेवल-13ए (1,31,100-2,16,600) अथवा	
			लेवल-13 (1,18,500-2,14,100) रूपये अथवा समतुल्य वेतनमान	
			में नियमित आधार पर क्रमशः दो या तीन वर्ष की नियमित सेवा;	
			अथवा	
			(iii) अहर्क चार्टर एकाउन्टेंट अथवा कोस्ट एकाउन्टेंट अथवा	
			एमबीए के साथ केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा	
			सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम अथवा साविधिक अथवा केंद्र सरकार	
-			या राज्य सरकारों के तहत स्वायत संगठन में कॉर्पोरेट लेखों और	
		\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.	कॉर्पोरेट वित्त मामलों के कार्य में कम से कम 15 वर्ष के अनुभव	
			के साथ वित में विशेषज्ञता हो।	
			किसी भी अधिकारी को चयनित होने के बाद आवेदन वापस लेने	
			अथवा सेवाग्रहण करने से इंकार करने की अनुमति नहीं होगी; और	
			यह प्रायोजित करने वाले प्राधिकारी की जिम्मेदारी होगी कि वह	
			चयनित अधिकारी को नियुक्ति आदेश जारी किए जाने के एक	
			माह के अंदर कार्यमुक्त कर दे।	
	9	आयु	प्रतिनियुक्ति या अल्प अवधि संविदा द्वारा नियुक्ति के लिए	
			अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त होने की निर्धारित अंतिम	
	L	<u> </u>	तिथि तक 58 वर्ष से अधिक नहीं होगी।	
•		•		
•				

सचिव के पद के लिए पात्रता मानदह का विवरण नीचे दिया गया है-

पद-3: सचिव

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण, जल शक्ति मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में,संसद के अधिनियम (1980 का 46) के तहत स्थापित सांवधिक निकाय-ब्रह्मपुत्र बोर्ड, गुवाहाटी में प्रतिनियुक्ति(अल्पकालीन संविदा सहित) पर वेतन मैट्रिक्स के स्तर 13 ए (1,31,100 - 2,16,600/-रूपए) में सचिव के 01 (एक) पद को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।

कार्य दायित्वों का संक्षिप्त विवरण:

सचिव, बोर्ड के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन रहेगा। वह अध्यक्ष के आदेशों के तहत बोर्ड की बैठकें निर्धारित करेगा और बोर्ड की बैठकों की सूचना जारी करेगा। वह बैठकों की कार्य सूची और प्रत्येक के संबंध में व्याख्यात्मक दिप्पणियां तैयार करेगा और इसे अन्य सदस्यों को परिचालित करेगा। वह प्रत्येक बैठक की कार्यवाही का कार्यवृत तैयार करेगा। सचिव, अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित कार्यवृत के निर्णयों की सूचना बोर्ड के सदस्यों तथा अन्य प्राधिकरणों को भेजेगा। सचिव, बोर्ड के समक्ष महाप्रबंधक द्वारा वितीय सलाहकार के परामर्श से तैयार बजट प्रस्ताव को अनुमोदन के लिए प्रस्तृत करेगा।

3. <u>पात्रता मानदंड</u>

प्रतिनियुक्ति (अल्पकालीन संविदा सहित): केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या राज्य विद्युत बोर्ड अथवा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम अथवा सांविधिक संगठनों या स्वायत्त निकायों या विश्वविद्यालय या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं के अधिकारी:

- (क) (क)(i) मूल संवर्ग अथवा विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद पर हों; अथवा
 - (ii)वेतन मैट्रिक्स के स्तर 13 (1,23,100 2,15,900/- रु.) में दो वर्ष की नियमित सेवा की हो: अथवा
 - (iii)वेतन मेंट्रिक्स के स्तर 12 के ग्रेड (78,800 2,09,200/- रु.) में छह वर्ष की नियमित सेवा की हो; और
- (ख) निम्नितिखित शैक्षणिक अर्हताएं और अनुभव हो:-
 - (i) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा समकक्ष से सिविल इंजीनियरी में डिग्री; और
 - (ii) जल संसाधन परियोजनाओं या प्रबंधन और सामान्य प्रशासन में विशेषज्ञता के साथ सिविल इंजीनियरिंग कार्यों में 12 वर्षों का अनुभव अथवा
 - (ख) (i) वेतन मैट्रिक्स के लेवल 13 (1,23,100 2,15,900/- रु.) में केंद्र सरकार या राज्य सरकार में पदधारित दो वर्ष की नियमित सेवा वाले अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी, जिन्हें 12 वर्ष का प्रशासनिक अनुभव हो; अथवा
 - (ii) वेतन मैंट्रिक्स के लेवल 12 (78,800 2,09,200/- रु.) में केंद्र सरकार या राज्य सरकार में पदधारित छह वर्ष की नियमित सेवा वाले अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी, जिन्हें 12 वर्ष का प्रशासनिक अनुभव हो।

टिप्पणी: - फीडर ग्रेड में विभागीय अधिकारी जो पदोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) आधार पर नियुक्ति पर विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त अधिकारी पदोन्नति द्वारा नियुक्ति पर विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

4. प्रतिनियुहित को अवधि:

प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालीन संविदा सहित) केन्द्र सरकार या इसके समतुल्य किसी अन्य संगठन अथवा विभाग में इस नियुक्ति से तुरंत पहले धारित अन्य बाह्य संवर्ग पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालीन संविदा सहित) सहित पांच (05) वर्ष से अधिक नहीं होगी।

5. <u>आय</u>:

प्रतिनियुन्ति पर (अल्पकालीन सविदा सहित) नियुन्ति किए जाने की अधिकतम आयु सीमा, आवेदन प्राप्त होने की निर्धारित अंतिम तारीख तक छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

- 6. इस पद के लिए अक्ष्यर्थी की पात्र सेवा/अनुभव और आयु निर्धारण की अंतिम तारीख आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तारीख होगी।
- 7. किसी भी अधिकारी को चयनित होने के बाद आवेदन वापस लेने अथवा कार्यभार ग्रहण करने से इंकार करने की अनुमति नहीं होगी; और यह प्रायोजित करने वाले प्राधिकरण की जिम्मेदारी होगी कि वह चयनित अधिकारी के नियुक्ति आदेश जारी किए जाने के एक माह के अंदर कार्यम्क्त करे।
- 8. चयनित अधिकारी के पास, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 17.06.2010 के का.जा. सं. 6/8/2009-स्थापना (वेतन-II) (समय-समय पर यथा संशोधित) के अनुसार अपना ग्रेड वेतन और प्रतिनियुक्ति (इ्यूटी) भत्ता आहरित करने अथवा प्रतिनियुक्ति के पद के वेतनमान में अपना वेतन निर्धारित करवाने का विकल्प होगा।
- 9. <u>अनुलग्नक-IV</u> में आवेदक के संपूर्ण विवरण के साथ आवेदन, यह परिपत्र जारी होने अथवा रोजगार समाचार में यह विज्ञापन प्रकाशित होने की तारीख से 60 दिन के भीतर, श्री राजेश कौशिक, अवर सचिव(ई-III), जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली-110001 को पहुंच जाने चाहिए। सभी आवेदनों की जानकारी को गोपनीय रखा जाएगा। सरकारी और सार्वजिक क्षेत्र के आवेदकों को "उचित माध्यम से" आवेदन करना चाहिए। विज्ञापन में मांगे गई संपूर्ण विवरण से रहित आवेदनों को रद्द कर दिया जाएगा।
- 10. मात्र ऐसे अधिकारी/अभ्यर्थी के आवेदन पर विचार किया जाएगा, जो उचित माध्यम से भेजे गए हैं और जिनके साथ (i) प्रपत्र में दिए गए प्रपत्र में जीवन-वृत (चार प्रति) (ii) अवर सचिव अथवा इससे ऊपर के स्तर के अधिकारी से सत्यापित विगत पांच वर्ष की एसीआर/एपीएआर की प्रतिलिपि (iii) सतर्कता स्वीकृति (iv) प्रपत्र के अनुसार पिछले दस वर्षों के दौरान लगाई गई, बड़ी या छोटी शास्ति, यदि कोई हो, का विवरण और (v) सत्यनिष्ठा प्रमाण पत्र तथा (vi) संवर्ग स्वीकृति संलग्न हो। सभी अपेक्षित जानकारी/दस्तावेज अनुलग्नक-IV में दिए गए प्रारूप के अनुसार होने चाहिए।

1.	पद का नाम	:	सचिव, ब्रह्मपुत्र बोर्ड, साविधिक निकाय
2.	पदों की संख्या	:	01 (एक)
3.	वर्गीकरण	:	समूह 'ए' अनुसचिवीय
4.	वेतन मेट्रिक्स में स्तर	:	वेतन मेंट्रिक्स में लेवल 13 ए (1,31,100 - 2,16,600/-
			₹.)
5.	प्रतिनियुक्ति की अवधि		प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालीन संविदा सहित)
		1	सामान्यतया केन्द्र सरकारके विभागों के समाम अथवा किसी
			अन्य संगठन अथवा विभाग में इस नियुक्ति से तुरंत पहले
			धारित अन्य संवर्ग बाहय पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि

•			
			(अल्पकातीन संविदा समेत) सहित; 5 वर्ष से अधिक नहीं
			होगी।
6.	पद के कर्तव्य एवं जिम्मेदारी	:]	सचिव, बोर्ड के प्रशासनिक नियंत्रणा के अधीन रहेगा। वह
			अध्यक्ष के आदेशों के तहत बोर्ड की बैठकें निर्धारित करेगा
			और बोर्ड की बैठकों की सूचना जारी करेगा। वह बैठकों की
			कार्य सूची और प्रत्येक के संबंध में व्याख्यात्मक टिप्पणियां
	·		तैयार करेगा और इसे अन्य सदस्यों को परिचालित करेगा।
			वह प्रत्येक बैठक की कार्यवाही का कार्यवृत तैयार करेगा।
	·		सचिव, अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित कार्यवृत के निर्णयों की
			सूचना बोर्ड के सदस्यों तथा अन्य प्राधिकरणों को भेजेगा।
			सचिव, बोर्ड के समक्ष महाप्रबंधक द्वारा वितीय सलाहकार
			के परामर्श से तैयार बजट प्रस्ताव को अनुमोदन के लिए
			प्रस्तुत करेगा।
			71.31.47.41
7.	वेतन एवं भते		चयनित अधिकारी के पास, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के
/.	वितन १४ मत		दिनांक 17.06.2010 के का.जा. सं. 6/8/2009-स्थापना
			(वेतन-II) (समय-समय पर यथा संशोधित) के अनुसार
			अपना ग्रेड वंतन और प्रतिनियुक्ति (इयूटी) भत्ता आहरित
			करने अथवा प्रतिनियुक्ति के पद के वेतनमान में अपना
<u> </u>			वेतन निर्धारित करवाने का विकल्प होगा ।
8.	पद के लिए अपेक्षित योग्यता,	:	प्रतिनियुक्ति (अल्पकालीन संविदा सहित):केन्द्र सरकार
	अनुभव और पात्रता		अथवा राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या
			राज्य विद्युत बोर्ड अथवा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम अथवा
			सांविधिक संगठनों या स्वायत निकायों या विश्वविद्यालय
			या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं के अधिकारी:
		-	(क) (क) (i) मूल संवर्ग अथवा विभाग में नियमित
			आधार पर सदृश पद पर हीं; अथवा
		-	(ii) वेतन मैट्रिक्स के लेवल 13 (1,23,100 -
			2,15,900/- रु.) में दो वर्ष की नियमित सेवा के
			साथ पद पर हों; अथवा
			(iii) वेतन मैंट्रिक्स के लेवल 12 के ग्रेड (78,800
			- 2,09,200/- रु.) में छह वर्ष की नियमित सेवा
			के पद पर हों; और
			(ख) निम्नितिखित शैक्षणिक अर्हताएं और अनुभव
			हो:-
: : : :			(I) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा
			समकक्ष से सिविल इंजीनियरी में डिग्री;
			औ र

1.		्र (II) जल संसाधन परियोजनाओं या प्रबंधन और
		सामान्य प्रशासन में विशेषजता के ताथ
		सिविल इंजीनियरिंग कार्यों में 12 वर्ष का
		अन्भव अथवा
.		(ख़) (i) वेतन मैट्रिक्स के लेवल 13 (1,23,100 -
		2,15,900/- रु.) में केंद्र सरकार या राज्य सरकार में
		पदधारित दो वर्ष की नियमित सेवा वाले अखिल भारतीय
-		सेवा के अधिकारी, जिन्हें 12 वर्ष का प्रशासनिक अनुभव हो;
		अथवा
		(ii) वेतन मैट्रिक्स के लेवल 12 (78,800 -
		2,09,200/- रु.) में केंद्र सरकार या राज्य सरकार
		में पदधारित छह वर्ष की नियमित सेवा वाले
		अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी, जिन्हें 12 वर्ष
		का प्रशासनिक अनुभव हो।
		टिप्पणी: - फीडर ग्रेड में विभागीय अधिकारी जो पदोन्नति
		की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा
		सिहत) आधार पर नियुक्ति पर विचार किए जाने के पात्र
		नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त अधिकारी पदान्नति
-		द्वारा नियुक्ति पर विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।
		किसी भी अधिकारी को चयनित होने के बाद आवेदन वापस
		लेने अथवा कार्यभार ग्रहण करने से इंकार करने की
		अन्मति नहीं होगी; और यह प्रायोजित प्राधिकारी की
		जिम्मेदारी होगी कि वह चयनित अधिकारी के नियुक्ति
		आदेश जारी किए जाने के एक माह के अंदर कार्यम्कत करे।
9.	आय्	: प्रतिनिय्क्ति अथवा अल्पकालीन संविदा सहित द्वारा
	3	नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा, आवेदन प्राप्त होने
		की निर्धारित अंतिम तिथि तक छप्पन वर्ष से अधिक नहीं
		होगी।

कीवन-इत्त प्रथंत

(में एप्रसः उथम्ड) 152 प्रींश नान

: प्रवास मिलिनिर्ज

. तन्म तिश्व (इंस्वी सनल तं):

3. केन्द्र सरकार नियमी के तहत सेवानिवृति की तारीख:

4. शिक्षिक योग्यताएं:

1(र्फ छिन्नर

٠.٧

त्या आप इस पद के लिए अपेशित शैष्टाणक तथा अन्य योग्यताएं रखते हैं (यदि किसी योग्यता का क्ष्म हैं ति इस के लिए प्रिक्श का का किसी प्राप्त के समतुत्य माना गया है ते इस के लिए प्रिक्श प्राप्त के समतुत्य माना गया है ते इस के लिए प्रिक्श प्राप्त किसी के समयुत्य माना गया है किसी के लिए प्राप्त किसी के लिए प्राप्त किसी के लिए प्राप्त के समयुत्य माना का अपेश के लिए प्राप्त किसी के लिए प्राप्त के समयुत्य माना के समयुत्य के लिए प्राप्त के समयुत्य माना के समयुत्य माना के समयुत्य माना के समयुत्य के लिए प्राप्त के समयुत्य माना के समयुत्य माना के समयुत्य माना के समयुत्य के समयुत्य माना के समयुत्य के समय

	<u> দঞ্জ</u> াচ
	<u>र्याञ्</u>
घार्क्स (ग्राह्मप्रधार कि ग्रिकिमिस	अमेसित योग्यताएं)अनुभव

5. कृपया स्वयं द्वारा की गई प्रविष्टियों के संदर्भ में स्पष्ट रूप से उल्लेख करें कि क्या आप पद

नि उत्तर प्रिप् गांस्प्रस कि अपि शिष्ठ कर मान्य क्षिण अपयोग्य है निम्म भिष्ठ कि भाग क्ष्यां कि भाग कि भा कि भाग क

			·		
				1	
	वर्गीकरण			त्रविधिम त्रप्र	
	17 7 7 1			फ्रिफ्टी प्रश्ने	
 <u> </u>	प्रींध किर्क			ाक्के प्रसि	
कि किशीड़	में डॉव कित्र	क्व तक	फ़्रे इक	इप ५५११७	कार्यातय/संस्था/संगठन

, निथंत क स्वाय का स्वरूप अर्थात,

ो नद्भी (i)

रम प्राधार इाष्ट्रभर्भाई आधार पर

निर्म के निर्म (iii)

न्तर्म हरू मग्रीग्रास (vi)

रंक छर्न्नर प्रिमुक् में रिमाम के निंतु त्रियाथ प्रम प्राथास धंक्रमुस्तिम् क्रिम क्रम नामिक

छि।। कि त्रभृष्ति कक्षिग्रा (क)

जिञ्ह कि तम्मृह्म प्रयासम्बद्धाः (ख)

(ग) सापके मूल कायोलय/सगठन का नान .

- 10. वर्तमान रोजनार के विषय में अतिरिक्त विवरण। कृपया बताएं कि आप किसके अंतर्गत कार्य कर रहे हैं:
 - (क) केन्द्र सरकार
 - (ख) राज्य सरकार
 - (ग) स्वायत्त संगठन
 - (घ) सरकारी उपक्रम
 - (ङ) विश्वविद्यालय
- 11. क्या आप संशोधित वेतनमान में हैं ? यदि हां, तो संशोधन की तारीख बताएं तथा संशोधन पूर्व वेतनमान का भी उल्लेख करें
- 12. वर्तमान में आहरित कुल मासिक परिलब्धियां:
- 13. अतिरिक्त सूचना, यदि कोई हो, जिसे आप इस पद के लिए अपनी उपयुक्तता के समर्थन में उल्लेखित करना चाहते हों। यदि स्थान अपर्याप्त हो तो अलग से शीट संलग्न करें।
- 14. क्या अनुस्चित जाति/अनुस्चित जनजाति से संबंधित हैं
- 15. अभ्युक्तियां

आवेदक के हस्ताक्षर

दिनांक:

प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक द्वारा दी गई सूचना उसके सेवा रिकार्ड से सत्यापित कर ली गई है और सही पायी गयी है।

मूल कार्यालय के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के प्रति हस्ताक्षर मोहर सहित

सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर

सतर्कता निकासी प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है है कि डा./श्री/श्रीमती/स्श्री	 जिन्होंने
में प्रतिनियुक्ति आधार पर	
कोई सतर्कता निकासी अथवा अनुशासनिक कार्यवाही	
किए जाने का विचार है।	
	(प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)

(प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता) लाम और कार्यालय की मोहर दिनांक :

	शास्ति प्रम	ग्ग-प≅	•	
प्रमाणित किया जाता है कि डा./श्री	1/श्रीमती/सुश्री		जिन्होंने	
में प्रतिनियुक्ति के आध	र पर के	पद के लिए आवेद	न किया है, पर पिर	इले 10 वर्षी
में कोई बड़ी/छोटी शास्ति नहीं लग	ायी गयी है।			
			(प्राधिकृत ह	स्ताक्षरकर्ता)
		·	नाम और कार्याल	य की मोहर
			दिनांक :	
	सत्यनिष्ठा प	माण-पत्र		
डा./श्री/श्रीमती/सुश्री	f	जेन्होंने	में प्रतिबि	नेयुक्ति के
आधार पर के पद	के लिए आवेदन वि	नया है, की वार्षिक	गोपनीय रिपोर्ट की	' जांच करने
के बाद यह प्रमाणित किया जाता	है कि उनकी सत्यनि	ष्ठा में कोई संदेह	नहीं है।	
		(उपसचि	व अथवा उससे ऊपर	के स्तर के
		अधिव	गरी द्वारा हस्ताक्षर	किए जाएं)
		ना	म और कार्यालय की	मोहर:
			दिनांक :	